

फर्द अहकाम

विमलादेवी vs विद्यादेवी कांड

उपखण्ड अधिकारी
विशदतनगर (प्रयागर)

बनाम

संख्या / वर्ष

6/2020

शाधना फा, 20

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

17-6-20 कोरोना वायरस के कारण वार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। गत आदेश की पालना के दिनों 22-7-20 को पेश हो।

22-7-20

उपखण्ड अधिकारी
विशदतनगर (प्रयागर) को कोरोना वायरस के कारण वार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। गत आदेश की पालना के दिनों 26-8-20 को पेश हो।

26-8-20

उपखण्ड अधिकारी
विशदतनगर (प्रयागर) कोरील प्रार्थी उषा। पंचेना सकार उषा। अपाथीगण द्वारा पूर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी गयी। आज इनके साथ-साथ आवाज लगायी गयी कोई उपस्थिति नहीं हुए। इनके विरुद्ध हकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस प्रारंभ हुयी गयी। प्रजावली का अपलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण के दिनों 04-2-20 द्वारा अस्थापी निवेदाज्ञा आदेश जारी किया गया है। वरु इनवाची दिनों 4-2-20 के अस्थापी

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)


न्यायालय

विमलादेवी बनाम विद्यादेवी कौंस्ट

मुकदमा संख्या/वर्ष

6/2020

: प्रार्थनापत्र / 20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विदि-या
		<p>निषेधाज्ञा आदेश का फसल मूलवादा शर्षापी किया जाता है तथा मण्डली मण के आस्थापी निषेधाज्ञा से वास्तु किया जाता है तथा T.G. (oh) का किया जाता है। फसल फसल शुद्ध होकर हमकिले दावा रहे नामक से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) </p>	

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)